

मूल्य 10/- रु०

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक



केस नं०

उत्तर-पुस्तिका / पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रार्थना-पत्र

विशेष निर्देश :- 1. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र स्वयं भरें। 2. परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन के परिणाम की प्रतीक्षा के बिना पूर्व घोषित परिणाम अनुसार ही विषय के कार्यक्रम नियोजित करे तथा आगामी परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र भरना चाहे तो भर सकते हैं।

- (क) 1. परीक्षार्थी का नाम..... (ख) शुल्क अदा किये..... रु.
 2. पिता का नाम श्री..... बैंक ड्राफ्ट नं.....
 3. परीक्षा का नाम..... बोर्ड रसीद संख्या.....
 माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा (मुक्त विद्यालय / शैक्षिक) दिनांक.....
 4. अनुक्रमांक (अंकों में)..... अधीक्षक(कैश)
 अनुक्रमांक (शब्दों में).....
 5. सत्र..... वर्ष.....
 6. परीक्षा केन्द्र का नाम.....
 7. जिला / संस्थान.....

- (ग) पुनर्मूल्यांकन करवाये जाने वाले विषय :
 एवं सैमेस्टर :

विषय							
सैमेस्टर							
प्राप्तांक							

- (घ) 1. परिणाम घोषणा की तिथि..... 2. घोषित परिणाम.....
 (ङ) जिस कैटेगरी में परीक्षा दी (✓) करें :- पूर्ण विषय/आंशिक उपलब्धि/रि-अपियर/अंक सुधार/अतिरिक्त विषय/आंशिक अंक सुधार/एस.टी.सी./सी.टी.पी.
 (च) प्रार्थी के लेख का नमूना (विषय अनुसार अवश्य भरा जाये).....

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवेदन पत्र मेरे द्वारा स्वयं भरा गया है। आवेदन-पत्र में भरे गये विवरण सही हैं। इस आवेदन-पत्र के दोनों तरफ दिये गये निर्देशों को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। इन्हें मैं स्वीकार करता/करती हूँ।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

पता.....

मोबाईल नं०.....

(कार्यालय प्रयोगार्थ)

परीक्षार्थी से निर्धारित शुल्क प्राप्त हो चुका है। परीक्षार्थी ने जिन विषय/विषयों में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन पत्र दिया है, उनकी स्थिति निम्न प्रकार से बनती है।

- (क) पुनर्मूल्यांकन उपरान्त अंकों की स्थिति निम्न प्रकार से बनती है :-

1. विषय में..... अंक से बढ़/घट कर..... अंक हो गये हैं।
 2. विषय में..... अंक से बढ़/घट कर..... अंक हो गये हैं।
 3. विषय में..... अंक से बढ़/घट कर..... अंक हो गये हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. पूनमूल्यांकन शुल्क 1000/- रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका होगा।
2. पूनमूल्यांकन हेतु जमा कराया शुल्क वापिस नहीं दिया जायेगा यदि पूनमूल्यांकन उपरान्त किसी छात्र के 10 प्रतिशत या 10 प्रतिशत से अधिक अंक बढ़ जाते हैं तो 1000 रुपये में से 500 रुपये परीक्षार्थी को लौटाये जायेंगे।
3. अधूरा फार्म/बिना शुल्क प्राप्त फार्म सीधा रद्द कर दिया जायेगा।
4. पूनमूल्यांकन फार्म तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि उपरांत 30 दिन के अन्दर-अन्दर बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये। अन्तिम तिथि के पश्चात् फार्म किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं होगा। परिणाम की सूचना अथवा प्रमाण पत्र देरी से प्राप्त होने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
5. परीक्षार्थी को पूनमूल्यांकन की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जायेगी। यदि किसी कारण से उत्तर-पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है तो परीक्षार्थी के प्राप्तांक सूची में दर्शाये गये अंक ही ठीक माने जायेंगे। ऐसी स्थिति में कार्यालय पूनमूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं होगा और कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में केवल शुल्क देय होगा।
6. परीक्षार्थी अपनी एक या एक से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के पूनमूल्यांकन के लिए केवल एक ही फार्म भरेगा तथा इकट्ठा शुल्क जमा करवायेगा।
7. अंकित उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी या उसके माता-पिता एवं अभिभावक को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जायेगी।
8. पूनमूल्यांकन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही केवल भिवानी स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगी
9. जिन छात्रों के किसी विषय/विषयों में 90 प्रतिशत से अधिक अंक होंगे तो उस विषय में वे पूनमूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
10. पूनमूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा में ही करवाई जा सकती है तथा बोर्ड के नियमानुसार ही पूनमूल्यांकन बारे कार्यवाही की जायेगी।
11. इन्टरनेट से अपने परिणाम की प्रति लेकर संलग्न करें।

62.1 **Rechecking of Answer books:**

(A) A candidate shall be entitled to have his/her answer books re-checked on payment of a fee of Rs. 100/- per answer book, subject to the following or as decided by the Board from time to time.

- (i) Re-checking form duly filled in with prescribed fee for re-checking is received in the Board's office within 30 days of the, date on which the result is declared by the Board.
- (ii) Re-checking will be done only to see if the marks awarded to various answers have been correctly added and if all the answers have been assessed by the examiner. If no mistake is found, the Assistant Secretary will order the case to be filed and the candidate will be informed accordingly.

Note: For calculating 30 days the date of declaration of result will not be counted for the purpose e.g. if a result is declared on 20th May, the last date would be 19th June. No consideration will be given to this plea that COP/COAP/reappear card/pass certificate has been received late etc.

(B) If any mistake is detected after re-checking of answer book, as provided for in (A) above, the Deputy Secretary will have power to rectify the result. Re-checking fee of those candidates whose answer books remain unchecked by the office, due to non-availability of answer book will be refundable.

(C) In case a re-checking form is rejected by the office for having being received after the expiry of the last date in such a case fee will not be refunded.

62.2 **Re-evaluation of Answer Books (Secondary/Senior Secondary Academic/Vocational Examination):**

- I) Re-evaluation System will be introduced in all the subjects of Secondary/Senior Secondary (Academic/Vocational) of both semesters examination. However, re-evaluation will not be allowed if the candidate has already obtained more than 90% marks in the concerned subject.
- II) Application form for re-evaluation must be submitted within 30 days from the date of declaration of result.
- III) A fee of Rs. 1000/- will be charged for re-evaluation per subject and Rs. 500/- will be refundable in case of the increase is 10% and above of maximum marks.
- IV) Re-evaluation will be permitted for theory papers only and there will be no re-evaluation for practical examination.
- V) Applications along with requisite fee which are not received by the stipulated date and which are found incomplete in any respect will not be entertained and will be summarily rejected without further notice.
- VI) Re-evaluation shall be done by an examiner other than the one who has done the first evaluation

when the candidate is able to get a pass with or without grace, the marks of re-evaluation will be awarded to the candidate.

- VIII) If the increase in marks on first re-evaluation is between 5 and 10% of the maximum marks, the new marks will be awarded to the candidates without further re-evaluation.
- IX) If the increase in marks on first re-evaluation is above 10% of the maximum marks, a second re-evaluation will be made and the average of the marks of these two re-evaluations will be awarded to the candidate provided the average of the marks in these two re-evaluation is 5% or above of the maximum marks for that paper.
- X) If the marks obtained on re-evaluation are less than the original marks, the original marks will stand.